



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18062020-220000
CG-DL-E-18062020-220000

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1747]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 18, 2020/ज्येष्ठ 28, 1942

No. 1747]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 18, 2020/JYAISHTHA 28, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 2020

सं. 13/2015-2020

विषय : हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एपीआई और इसके सूत्रों की निर्यात नीति में संशोधन।

का.आ. 1963(अ).—विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित, यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की सं. 22) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और इनके सूत्रों के निर्यात से संबंधित आईटीसी एचएस निर्यात नीति की अनुसूची 2 को संशोधित करने वाली अधिसूचना सं. 54 दिनांक 25.03.2020 में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है :-

क्रम सं.	आईटीसी एचएस कोड	विवरण	मौजूदा नीति	संशोधित नीति
207ड.	29334900	हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन	निषिद्ध	मुक्त
	29333990			
	29339900			
207च	30049059	हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से बनाए गए सूत्र	निषिद्ध	मुक्त
	30049099			

2. इस अधिसूचना का प्रभाव:

अधिसूचना सं. 54 दिनांक 25.03.2020 को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एपीआई और इसके सूत्रणों की निर्यात नीति को तत्काल प्रभाव से "निषिद्ध" से परिवर्तित कर "मुक्त" करने के लिए संशोधित किया गया है।

[फा. सं. 01/91/180/21/एम20/ईसी/इ-21154]

अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th June, 2020

No. 13/2015-2020

Subject : Amendment in Export Policy of Hydroxychloroquine API and its Formulations.

S.O. 1963(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), as amended, read with Para 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-20, the Central Government hereby makes the **following amendments in the Notification No. 54 dated 25.03.2020** amending the Schedule 2 of the ITC HS Export Policy related to export of Hydroxychloroquine and its formulations, with immediate effect:

S. No.	ITC HS Codes	Description	Present Policy	Revised Policy
207 E	29334900 29333990 29339900	Hydroxychloroquine	Prohibited	Free
207 F	30049059 30049099	Formulations made from Hydroxychloroquine	Prohibited	Free

2 . Effect of this Notification:

The Notification No. 54 dated 25.03.2020 has been amended to change the export policy of Hydroxychloroquine API and its formulations from "Prohibited" to "Free", with immediate effect.

[F. No. 01/91/180/21/AM20/EC/E-21154]

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade
& Ex-Officio Addl. Secy.